हिन्दी अकादमी, दिल्ली

समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007

दूरभाष : 8 0 7 6 8 2 4 6 5 9

ई–मेल पता : hindiacademydelhi@gmail.com, hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना (2025-26)

हिन्दी भाषा, साहित्य के संवर्द्धन एवं विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील हिन्दी अकादमी, दिल्ली, द्वारा साहित्य–सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकाशन सहयोग योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रचनाकारों से साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सन्दर्भ में उपयोगी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

अकादमी द्वारा इस वर्ष प्रकाशन सहयोग योजना : 2025–26 की नियमावली के अन्तर्गत 'आर्थिक सहयोग' प्रदान करने के लिए रचनाकारों से पाण्डुलिपियों के आमंत्रण हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2025 को हिन्दी के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

इच्छुक रचनाकार, विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर अर्थात **03 सितम्बर, 2025 तक** अपनी पाण्डुलिपियाँ अकादमी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में ''नियमावली'' एवं 'आवेदन प्रपत्र' आदि व्यक्तिगत रूप से अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा हिन्दी अकादमी की वेबसाइट hindiacademy.delhi.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सचिव

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)

समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली-110007

ई-मेल: hindiacademydelhi@gmail.com,

hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना

2025-2026

हिन्दी भाषा और साहित्य सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत हिन्दी अकादमी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रचनाकारों से साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सन्दर्भ में उपयोगी पाण्डुलिपियां प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए आमंत्रित हैं।

नियमः

- इस योजना के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध, रूपान्तरित, सम्पादित अथवा संकलित की गयी पाण्डुलिपियां स्वीकार्य नहीं होंगी, केवल सृजनात्मक लेखन के प्रकाशन हेतु सहयोग दिया जाएगा।
- इस योजना के अन्तर्गत लेखक को यदि पूर्व में सहयोग राशि जारी की गई है तो लेखक इस योजना में तीन वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है।
- परिवर्तित नियम के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत अब किसी भी आयु के रचनाकारों की पाण्डुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा।
- प्रकाशन सहयोग योजना का उद्देश्य नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देना है। अतः नवोदित लेखकों, जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उनकी रचना मानदण्डों पर खरी उतरती है तो उनकी रचनाओं पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा।
- एक लेखक की केवल एक ही पाण्डुलिपि स्वीकार्य होगी। पुस्तक के रूप में लगभग 125 पृष्ठ की पाण्डुलिपि ही विचारणीय होगी।
- पाण्डुलिपि टंकित या स्वच्छ हस्तलिखित एवं सजिल्द हो जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख केवल मुखपृष्ठ पर हो। कार्बन-प्रति तथा फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
- पाण्डुलिपि निर्धारित प्रपत्र, आवास प्रमाण-पत्र, मौलिक रचना का प्रमाण पत्र तथा पुस्तकाकार में अप्रकाशित होने के प्रमाण पत्र सहित स्वीकार की जायेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत लेखक को रु. 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये) का सहयोग जारी किया जायेगा।
- सहयोग राशि जारी करने से पूर्व लेखक को रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) की पुस्तकें 25 प्रतिशत कटौती करके हिन्दी अकादमी के कार्यालय में जमा करनी होंगी।

इस सम्बन्ध में नियमावली एवं आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अकादमी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा अकादमी की वेबसाइट **hindiacademy.delhi.gov.in** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस विज्ञापन के प्रकाशन होने के 45 दिनों के अंदर पाण्डुलिपि अकादमी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

संजय कुमार गर्ग
सचिव

DIP/Shabdarth/Classified/0146/25-26

हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली—110007
दूरभाष : 8 0 7 6 8 2 4 6 5 9
ई–मेल पता : hindiacademydelhi@gmail.com, hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना 2025–26

नियमावली

1 केवल 'दिल्ली संघ राज्य' के लेखकों की मौलिक अप्रकाशित पाण्डुलिपियों पर ही विचार किया जाएगा।

2 शोध–प्रबन्ध, अनूदित, रूपान्तरित, सम्पादित अथवा संकलित पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3 पिछले तीन वर्षो का दिल्ली में रहने का आवास/निवास प्रमाण–पत्र (राशनकार्ड/आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की छायांकित प्रति) अनिवार्य है।

4 प्रकाशन सहयोग का उद्देश्य नवोदित लेखकों (प्रतिभाओं) को प्रोत्साहन देना है। अतः नवोदित लेखकों जिन्हें अकादमी से अभी तक कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी पाण्डुलिपियों पर आर्थिक सहयोग देने में प्राथमिकता दी जाएगी ।

5 इस योजना के अन्तर्गत लेखक को यदि पूर्व में सहयोग राशि जारी की गई है तो लेखक इस योजना में तीन वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है ।

6 परिवर्तित नियम के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत अब किसी भी आयु के रचनाकारों की पाण्डुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा ।

7 सामान्य पुस्तक के रूप में लगभग 125 पृष्ठ की पाण्डुलिपियों पर विचार किया जा सकेगा।

8 एक लेखक की केवल एक ही पाण्डुलिपि स्वीकार्य होगी। अकादमी के कार्यालय में जमा कराई जाने वाली पाण्डुलिपि की एक अतिरिक्त प्रति लेखक के पास रहना अनिवार्य है।

9 पाण्डुलिपि हिन्दी भाषा और साहित्य से सम्बन्धित किसी एक ही विधा में ही हो।

10 पाण्डुलिपि की एक सजिल्द प्रति स्वच्छ टाइप या हस्तलिखित पढ़ने योग्य, विषय अनुक्रमणिका, पृष्ठांकन एवं हार्ड बाइंड सहित अकादमी के कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख केवल मुखपृष्ठ पर हो। स्पाइरल बाईडिंग स्वीकार्य नहीं है।

11 पाण्डुलिपि एक बार जमा कराने के उपरान्त पाण्डुलिपि की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

12 सभी प्राप्त पाण्डुलिपियों पर इस सम्बन्ध में गठित अकादमी की समिति द्वारा जाँच करके निर्णय लिया जाएगा। समिति द्वारा अनुमोदित पाण्डुलिपियों के लिए अधिकतम 50 पाण्डुलिपि को योजना के अन्तर्गत प्रकाशन सहयोग राशि दी जाएगी।

13 यदि प्रकाशित पुस्तक की सामग्री जमा की गई पाण्डुलिपि की सामग्री से भिन्न होगी तो उस स्थिति में अकादमी द्वारा सहयोग राशि नहीं दी जाएगी।

14 स्वीकृत पाण्डुलिपि के प्रकाशनार्थ अकादमी के निर्णय और नियमों के अन्तर्गत 25,000/—रूपये की प्रकाशन सहयोग राशि के एवज में सम्बन्धित कृति के रचनाकारों को 25 प्रतिशत की छूट देने के पश्चात 25,000/—रुपये की मूल्य की पुस्तकें अकादमी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। पुस्तकें (तीन प्रतियों में बिल सहित) प्राप्त होने के उपरान्त ही सहयोग राशि निर्गत की जा सकेगी ।

15 यदि कोई लेखक निर्णय की प्रतीक्षा न करके अपनी पाण्डुलिप पहले ही लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार होगा ।

16 जिन रचनाकारों की अभी तक एक भी कृति प्रकाशित न हुई हो और उनकी पाण्डुलिपि में प्रतिपादित विषय स्तरीय होगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी

17 पाण्डुलिपियॉ सुपाठ्य हों तथा उसमें वर्तनी अशुद्धियाँ न हों

18 पाण्डुलिपि का प्रतिपादित विषय मौलिक तथा प्रस्तुतिकरण स्तरीय और कलात्मक होना चाहिए। अनुदान के विचारार्थ जमा की गई पाण्डुलिपि के लिए अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से अनुदान न लिया गया हो।

19 जो पाण्डुलिपि नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सन्दर्भो में उपयोगी होगी, उन्हें प्रकाशन सहयोग में प्राथमिकता दी जायेगी ।

20 जिन लेखकों की पाण्डुलिपियों को प्रकाशन सहयोग प्रदान करने की सिफारिश नहीं होती है, उनके रचनाकार अकादमी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप में अथवा प्राधिकृत पत्र के द्वारा अनिवार्य रूप से अपनी पाण्डुलिपि वापस प्राप्त कर लें। उस निर्धारित अवधि के उपरान्त पाण्डुलिपि को लौटाये जाने के लिए अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

21 अकादमी के शलाका एवं साहित्यकार सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों की पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

22 इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए अकादमी का अधिकार सुरक्षित होगा।

23 इस सम्बन्ध में अकादमी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007
दूरभाष : 8 0 7 6 8 2 4 6 5 9
ई–मेल पता : hindiacademydelhi@gmail.com, hindiacademy.publication@gmail.com

प्रकाशन सहयोग योजना : 2025–2026

आवेदन–प्रपत्र

1. पाण्डुलिपि का नाम ....
2. विधा ....
3. लेखक/लेखिका का नाम ....
4. पिता/पति का नाम ....
5. शिक्षा ....
6. जन्मतिथि/जन्म स्थान ....
7. भाषा ज्ञान ....
8. व्यवसाय/सम्प्रति ....
9. स्थायी पता ....
....
....
10. पत्र व्यवहार का पता ....
....
....
11. दूरभाष (मोबाइल/आवास/कार्यालय) ....
....
12. निवास प्रमाण–पत्र/अवधि ....
(राशनकार्ड, आधार कार्ड अथवा मतदान पहचान पत्र की फोटोस्टेट प्रति ही मान्य होगा। कृपया संलग्न करें)
13. पुरस्कार/सम्मान ....

हस्ताक्षर..

लेखक का नाम ....

....

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

प्रकाशन सहयोग योजना : 2025–2026

पाण्डुलिपि की मौलिकता तथा अप्रकाशित होने का शपथ–पत्र

मैं...

पुत्र/पुत्री/पत्नी.. प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रकाशन सहयोग योजना 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान के विचारार्थ मेरे द्वारा प्रस्तुत ....नामक पाण्डुलिपि पूर्णतया मौलिक एवं अप्रकाशित है। यह पाण्डुलिपि न अनूदित है, न रूपान्तरित, न सम्पादित, न संकलित है और न ही शोध–ग्रन्थ है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रस्तुत पाण्डुलिपि पुस्तक आकार रूप में अप्रकाशित है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण पूर्णतः सही है।

हस्ताक्षर ....

लेखक का नाम ....

पता ....

....

....

मोबाईल नम्बर ....